संख्या: 49/2023/456/छप्पन-2023-11/2013(Drain)टी.सी.-ए

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2023

विषय: जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जल निकासी के लिए ड्रेन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक: 333/आर0सी0एस0-2023-ए-3/2018 दिनांक 30 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इक्तालीस लाख छ: हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा बजट में उपलब्ध धनराशि के अनुसार रू0 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्नवे लाख नवासी हजार मात्र) के व्यय की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या के पत्र संख्या 1906/वि0भू0अ0अधि0/ श्रीराम एयरपोर्ट-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, अयोध्या की 02 परियोजनाओं के गठित समेकित आगणन लागत रू0 5587.55 लाख (रूपए पचपन करोड़ सत्तासी लाख पचपन हजार मात्र) को व्यय वित्त समिति द्वारा रू0 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छ: हजार मात्र) की लागत पर कतिपय निर्देश देते हुए अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(लागत रूपए लाख में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	प्रस्तावित लागत	अनुमोदित लागत
अ	जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की परियोजना।	4763.51	4646.40
ब	निर्माणाधीन अयोध्या एअरपोर्ट के आइसोलेशन बे के उत्तरी छोर पर जल निकासी हेतु तिलैया ड्रेन के मध्य लिंक ड्रेन के निर्माण का कार्य।	824.04	794.66
कुल लागत (अ+ब)		**5587.55**	**5441.06**

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की आंकलित लागत 5441.06 लाख (रूपए चौवन करोड़ इकतालीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्नवे लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(लागत रूपए लाख में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	प्रस्तावित लागत	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
अ	जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की परियोजना।	4763.51	4646.40	1190.88
ब	निर्माणाधीन अयोध्या एअरपोर्ट के आइसोलेशन बे के उत्तरी छोर पर जल निकासी हेतु तिलैया ड्रेन के मध्य लिंक ड्रेन के निर्माण का कार्य।	824.04	794.66	206.01
कुल लागत (अ+ब)		**5587.55**	**5441.06**	**1396.89**

<u>शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या/कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रायोजना में प्रस्तावित ड्रेन की ड्राइंग व डिजाइन आई0आई0टी0/ हाईड्रोलॉजी संस्था से वेटेड करा लिया जाए तथा इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) एक ही कार्यमदों की दरें भिन्न-भिन्न होने के दृष्टिगत नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग तथा मुख्य अभियन्ता, जल निगम की एक कमेटी का गठन करते हुए स्वयं आश्वस्त होने के पश्चात् जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप जिलाधिकारी, अयोध्या/कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या/कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(6) प्रायोजना के निर्माण के उपरान्त नालों के मेन्टीनेन्स/रख-रखाव के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा सुनियोजित कार्ययोजना नियमानुसार तैयार कराई जाएगी।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव में यूटिलिटी शिफ्टिंग (वन विभाग) का विस्तृत आगणन उपलब्ध न होने के कारण एकमुश्त रू0 112.00 लाख अनुमन्य किया गया है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त का विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र लागत परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/जिलाधिकारी, अयोध्या/निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(9) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपने खाते में जमा करने पर यदि ब्याज अर्जित किया जाएगा तो उसे राजकीय कोष में जमा कराने का उत्तरदायित्व जिलाधिकारी, अयोध्या का होगा।

(12) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(13) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या की होगी।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(15) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(16) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(17) निदेशक, नागरिक उड्डयन/जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेशों के किसी नियम का उल्लंघन न हो। वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(18) निदेशक, नागरिक उड्डयन/ जिलाधिकारी, अयोध्या एवं कार्यदायी संस्था- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(19) व्यय की गई धनराशि का विवरण प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि की गणना के आधार पर आगामी माह की 07 तरीख तक निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1396.89 लाख (रूपए तेरह करोड़ छियान्नवे लाख नवासी हजार मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-38 के पूंजी लेखा लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहत् निर्माण कार्य'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7- 587/दस-2022-23, दिनांक 31 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

5/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 49/2023/456(1)/छप्पन-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/जल निगम, उ0प्र0।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/अयोध्या।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।